

## सीजीएचएस के सभी लाभार्थियों के लिए भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश के 6 एम्स में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी

सीजीएचएस पेंशनभोगी और अन्य कर्मचारी इन 6 एम्स में ओपीडी उपचार, नैदानिक जांच और अस्पताल में उपचार के लिए कैशलेस सुविधा का प्रयोग कर सकेंगे

नई दिल्ली के एम्स, चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर और पुडुचेरी के जीआईपीएमईआर में सीजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस उपचार सुविधा की तैयारी

Posted On: 20 MAY 2023 1:25PM by PIB Delhi

भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश स्थित 6 एम्स में अब सीजीएचएस के सभी सेवारत और पेंशनभोगी लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण की उपस्थिति में आज यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और इन छह एम्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सीजीएचएस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।



भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश स्थित 6 पूर्ण रूप से काम कर रहे एम्स में सीजीएचएस लाभार्थी को कैशलस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह विशेष रूप से सीजीएचएस के सेवानिवृत्त पेंशनभोगी के लिए फायदेमंद होगा, जिन्हें व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति दावों को पेश करने और अनुमोदनों का पालन करने में मुश्किल होती है। सीजीएचएस लाभार्थियों को पहले भुगतान करने और फिर सीजीएचएस से प्रतिपूर्ति मांगने की प्रक्रिया के बिना इन एम्स में उपलब्ध अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस पहल से समय की बचत होगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और व्यक्तिगत दावे भी कम होंगे। अभी तक एम्स में उपचार करा रहे सीजीएचएस पेंशनभोगी लाभार्थियों को पहले भुगतान करना होता है और बाद में सीजीएचएस से प्रतिपूर्ति का दावा करना होता है।



इस पहल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. सीजीएचएस पेंशनभोगी और सीजीएचएस लाभार्थियों की अन्य श्रेणियां इन 6 एम्स में ओपीडी परामर्श, नैदानिक जांचें और अस्पताल में उपचार में कैशलस उपचार के लिए पात्र होंगे।
2. यह 6 एम्स सीजीएचएस पेंशनरों और पात्र लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों के क्रेडिट बिल सीजीएचएस को भेजेंगे और सीजीएचएस, बिलों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर इनका भुगतान करेंगे।
3. एम्स में उपचार के लिए वैध सीजीएचएस लाभार्थी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
4. सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एम्स एक अलग हेल्प डेस्क और एक अलग लेखा प्रणाली बनाएगा।
5. ओपीडी उपचार के लिए या एम्स से छुट्टी के समय एम्स में डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाएं सीजीएचएस के माध्यम से लाभार्थी प्राप्त कर सकते हैं।

इस कदम की सराहना करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने कहा, "सीजीएचएस स्वास्थ्य मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण सेवा-उन्मुख वर्टिकल है जिसके माध्यम से मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि "सरकार सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है जो रोगियों की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप उत्कृष्ट तृतीयक देखभाल सुविधाएं प्रदान करते हैं।" उन्होंने यह भी कहा "निकट भविष्य में नई दिल्ली में स्थापित एम्स संस्थान, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी को इस समझौते में शामिल किया जाएगा।"

श्री राजेश भूषण ने विस्तार से बताया कि इस समझौते से एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा क्योंकि यह लंबी औपचारिकताओं को आसान बनाने और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच में तेजी लाने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में सीजीएचएस सेवाओं की पहुंच भी बढ़ेगी, क्योंकि यह समझौता सीजीएचएस लाभार्थियों को उनके संबंधित राज्यों के एम्स संस्थानों से उपचार का लाभ उठाने की अनुमति देता है। उन्होंने आगे कहा कि सीजीएचएस ने उपचार और चिकित्सा देखभाल की कुछ दरों को संशोधित किया है, जिससे रोगियों को उपचार सुविधाओं तक पहुंचने में सहायता मिली है।

सीजीएचएस लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने के लिए सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में भेजा जाता है। सीजीएचएस पेंशनभोगी और सीजीएचएस लाभार्थियों की अन्य मदद श्रेणियां सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस सुविधाओं के लिए पात्र हैं। सीजीएचएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों, माननीय संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों और लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा (ओपीडी और आईपीडी दोनों) प्रदान करता है। वर्तमान में सीजीएचएस देश के 79 सहरों में कार्य कर रहा है।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत देश भर में 22 नए एम्स स्थापित किए गए हैं और वे परिचालन के विभिन्न चरणों में हैं। चिकित्सा की उत्कृष्ट शिक्षा और अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करने के अलावा ये प्रमुख संस्थान कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियो वैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी आदि सहित विभिन्न विशिष्टताओं और सुपर स्पेशियलिटी में विशेष रोगी देखभाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। ये संस्थान ट्रॉमा और आपातकालीन देखभाल सेवाएं, अत्याधुनिक निदान सेवाएं, जिनमें ब्लड बैंक सुविधाएं शामिल हैं भी प्रदान करते हैं।

इस सत्र में अपर सचिव श्रीमती वी. हेकाली झिमोमी, संयुक्त सचिव श्रीमती अंकिता मिश्रा, संयुक्त सचिव डॉ. मनशवी कुमार, सीजीएचएस के निदेशक डॉ. जैन सहित कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। भुवनेश्वर, पटना, रायपुर और जोधपुर एम्स के कार्यकारी निदेशक और भोपाल और ऋषिकेश एम्स के प्रतिनिधि समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कार्यक्रम में उपस्थित थे।

\*\*\*\*

**एमजी/एमएस/एस/डीके-**

(Release ID: 1925864) Visitor Counter : 365

Read this release in: English , Urdu , Marathi , Tamil , Telugu

Cashless treatment facilities now available to all CGHS beneficiaries at 6 AIIMS at Bhopal, Bhubaneswar, Patna, Jodhpur, Raipur and Rishikesh

CGHS Pensioners and other entitled categories of CGHS beneficiaries will be eligible for cashless treatment in OPD, investigations and Indoor treatment at these 6 AIIMS

Cashless treatment to CGHS beneficiaries at AIIMS New Delhi, PGIMER Chandigarh and GIPMER Puducherry in the offing

Posted On: 20 MAY 2023 1:25PM by PIB Delhi

Cashless treatment facilities will now be available to all CGHS beneficiaries (serving and pensioners) at 6 AIIMS located at Bhopal, Bhubaneswar, Patna, Jodhpur, Raipur and Rishikesh. This significant decision was taken today, as Memorandum of Agreement were signed between these six AIIMS and CGHS, Union Health Ministry in the presence of Shri Rajesh Bhushan, Union Health Secretary.



Patient care facilities available at 6 fully functional AIIMS at Bhopal, Bhubaneswar, Patna, Jodhpur, Raipur and Rishikesh shall be extended to the CGHS beneficiaries on cashless basis. It will be particularly beneficial for the senior citizens (retired pensioner beneficiaries of CGHS) who find it difficult to submit individual

reimbursement claims and follow up approvals. The CGHS beneficiaries will have the advantage of accessing state of art treatment facilities available in these AIIMS, without the hassle of first making payments and then seeking reimbursements from CGHS. This initiative will save time, reduce paperwork and also delays in settlement of individual claims. Till now, CGHS pensioner beneficiaries, availing treatment at AIIMS, are required to first make payment and claim reimbursement later from CGHS.



The salient features of this initiative are as under:

1. The CGHS Pensioners and other entitled categories of CGHS beneficiaries will be eligible for cashless treatment in OPD, investigations and Indoor treatment at these 6 AIIMS.
2. These 6 AIIMS shall raise credit bills of CGHS Pensioners and other categories of eligible beneficiaries to CGHS and CGHS shall preferably make payment within 30 days of receipt of the bills.
3. Admission of the CGHS beneficiary shall be made only against production of valid CGHS Beneficiary ID Card for the treatment at AIIMS.
4. AIIMS shall create a separate Help Desk and a separate accounting system for CGHS beneficiaries.
5. Medicines prescribed by the doctors at AIIMS, for OPD treatment or at the time of discharge from AIIMS, will be collected by the beneficiaries through CGHS.

The Health Secretary lauded this development stating “CGHS is a significant service-oriented vertical of the Health Ministry through which existing and retired employees can avail medical services. He further added that “the government endeavors to expand the number of hospitals empaneled under CGHS providing excellent tertiary care facilities aligned with the rising requirements of the patients.” He also stated “in the near future the AIIMS institutions established in New Delhi, Post Graduate Institute of Medical Education & Research Chandigarh and Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry will be incorporated in this agreement.”

Shri Rajesh Bhushan elaborated that “a big segment will benefit from this agreement, as it seeks to ease the lengthy formalities and expedite access to medical care.” He noted that will also widen the reach of CGHS services across the nation, as this agreement allows the beneficiaries to avail the CGHS beneficiaries from the AIIMS institutions in their respective states. He further added that CGHS has upwardly revised certain rates of treatment and medical care, further aiding access of treatment facilities for patients.

The beneficiaries under the CGHS are referred to Government hospitals and private hospitals empaneled under CGHS for indoor treatment. CGHS pensioners and other entitled categories of CGHS beneficiaries are eligible for cashless facilities at empaneled hospitals. CGHS provides comprehensive healthcare (both OPD & IPD) to Central Government employees, pensioners and their dependent family members, Hon’ble Members of Parliament, ex-MPs and other categories of beneficiaries. Presently CGHS is in operation in 79 cities in the Country.

Under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) 22 new AIIMS have been established across

the country and they are at varying stages of operationalization. Besides providing facilities for quality medical education and research, these Premier institutions provide specialized patient care health services in various specialities and super specialities including cardiology, neurology, neuro surgery, gastroenterology, urology, cardio vascular thoracic surgery, oncology etc. These institutes also provide trauma and emergency care services, state of the art diagnostic services, including blood bank facilities.

**The session was attended by Additional Secretary Smt V. Hekali Zhimomi, Joint Secretary Smt Ankita Mishra, Joint Secretary Dr. Manashvi Kumar, Director, CGHS, Dr. Jain among senior government officials. Executive Directors of AIIMS Bhubaneshwar, AIIMS Patna, AIIMS Raipur, AIIMS Jodhpur and representatives from AIIMS Bhopal and AIIMS Rishikesh were present at the MOA signing event.**

\*\*\*\*\*

MV

**HFW/ Launch of Cashless treatment facilities for CGHS beneficiaries at 6 AIIMS/20May2023/2**

(Release ID: 1925806)